8) 444 पत्रावली में है वकील प्रार्थी अनु। प्रार्थी अनु। का
का आवास किराये कोई उपयोग नहीं आया। अतः
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली बाद फैसला
के खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद फैसला
होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Beena Mahawar
Date: 2024.03.05 16:35:54 IST
Reason: SelfAttested